भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. NM/3/2018/STGCG/DEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक **15.02.2018**

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
जिला– बस्तर
जगदलपुर,
(छत्तीसगढ़)

विषयः श्री नागेश्वरी मंडावी, मं. नं. 48/45, पुलिस लाईन, जगदलपुर जिला बस्तर, (छत्तीसगढ़) को उनके पड़ोसी लल्लन सिंह द्वारा प्रताड़ित करने संबंधी दिनांक 08/12/2017 का अभ्यावेदन।

सर,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट का प्रतिवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है!

अनुरोध है कि प्रकरण मे अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करे !

भवदीय

दुबे

(आर. के. दुबे)
सहायक निर्देशक

प्रतिलिपिः

श्री नागेश्वरी मंडावी,
मं. न. 48/45, पुलिस लाईन,
जगदलपुर जिला बस्तर, (छत्तीसगढ)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- NM/3/2018/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्रीमती नागेश्वरी मंडावी, पति श्री महेंद्र सिंह, मकान नंबर-48/45, पुलिस लाइन जगदलपुर, जिला बस्तर, छतीसगढ़ को उनके पड़ोसी श्री लल्लन सिंह द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 05.02.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्रीमती नागेश्वरी मंडावी, पति श्री महेंद्र सिंह, मकान नंबर-48/45, पुलिस लाइन जगदलपुर, जिला बस्तर, छतीसगढ़ ने अपने पड़ोसी श्री लल्लन सिंह द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध मे दिनांक 08.12.2018 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया था।

2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, अभ्यावेदक श्रीमती नागेश्वरी मंडावी मकान नंबर-48/45, पुलिस लाइन जगदलपुर, जिला बस्तर मे अपनी माता, पति तथा दो बहनों के साथ निवास करती हैं। उनकी एक बहन हृदय रोग से पीड़ित हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनके पड़ोसी श्री लल्लन सिंह द्वारा पिछले पाँच वर्षों से लगातार उन्हे परेशान किया जा रहा है, उनके साथ जातिगत गाली, जान से मारने की धमकी दी जाती हैं। इससे परेशान होकर अभ्यावेदक ने आदिवासी थाने मे उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद उनके पड़ोसी श्री लल्लन सिंह की बेटियों द्वारा अभ्यावेदक और उनके पड़ोसी रुची साहू, पिता- अशोक साहू के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर एकतरफा कार्यवाही करते हुये पुलिस द्वारा अभ्यावेदक की दोनों नाबालिग बहनों को बाल न्यायालय मे पेश कर पाँच दिन के लिए बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। इसके पश्चात अभ्यावेदक को तीन दिन के अंदर मकान खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अभ्यावेदक ने आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 15.01.2018 को एक नोटिस जारी कर दिनांक 05.02.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

4. दिनांक 05.02.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ की ओर से डॉ. यूलैण्डन यार्क, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ उपस्थित हुये।

5. आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे पुलिस प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है। नगर पुलिस अधीक्षक, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़ ने आयोग को अवगत कराया कि मामले मे कार्यवाही करते हुये अभ्यावेदक की शिकायत पर 22.06.2017 को एफ़आईआर दर्ज की गई है। दोनों पक्षों पर एक -दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय मे दिनांक 15.11.2017 को चालान पेश किया गया था। दोनों पक्षों की पेशी चल रही है।

6. आयोग ने पाया कि आवेदिका की लिखित शिकायत पर पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज नही की गई बल्कि उसे जांच मे लिया गया। इससे दूसरे पक्ष को भी आवेदिका के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। दूसरे पक्ष की शिकायत कार्यवाही कर आवेदिका की नाबालिग बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा शिकायत करने पर उसे पुलिस द्वारा सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए था, परंतु उसके और परिजनों के खिलाफ ही काउंटर एफ़आईआर दर्ज कर लिया गया। साथ ही आवेदिका को मकान खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया। इस प्रकरण मे आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ करता है-

1. आवेदिका श्रीमती नागेश्वरी मंडावी को आवंटित मकान खाली नही कराया जाय।
2. अनावेदक को आवेदिका के आवास से दूर दूसरा आवास आंवनतित किया जाय ताकि विवाद को दूर किया जा सके।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) नियम के तहत आवेदिका को आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध मे प्रगति रिपोर्ट से आयोग को दो सप्ताह के अंदर अवगत कराया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- NM/3/2018/STGCG/DEOTH/RU-III)

श्रीमती नागेश्वरी मंडावी, पति श्री महेंद्र सिंह, मकान नंबर-48/45, पुलिस लाइन जगदलपुर, जिला बस्तर, छतीसगढ़ के द्वारा उनके पड़ोसी श्री लल्लन सिंह द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री जे. एस. रथो, संयुक्त सचिव
3. श्री आर. के. दूबे, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी

1. डॉ. यूलैण्डन यार्क, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़